work for stipulated period of five hours, delayed judgement and non-filling up of vacancies for a long time are the reasons for the inefficacy of judicial system.

The workshop suggested for removal of procedural tangles, disposal of cases expeditiously, preferably day to day, and strictness about granting of adjournments; prompt delivery of judgements and court attendance by judges as required, creating a work culture.

(c) A Statement is attached.

Statement

Sl. No.	Name of the Court	Number of cases pending	No. of vacancies of Judges (As on 1.7.98)
	Supreme Court	(As on 1.7.1998) 6709 (Admission Matters) 13531 (Regular Matters)	5
	High Courts	(As on 31.12.97)	
1.	Allahabad	8,65,455*	24
2.	Andhra Pradesh	1,33,211	8
3.	Bombay	2,35,381	10
4.	Calcutta	2,82,209	12
5.	Delhi	1,65,855**	4
6.	Gauhati	34,165	3
7.	Gujarat	1,22,966	3
8.	Himachal Pradesh	13,352	1
9.	Jammu & Kashmir	98,645	2
10.	Karnataka	1,35,389	4
11.	Kerala	2,50,261	5
12.	Madhya Pradesh	80,848	6
13.	Madras	3,26,619	7
14.	Orissa	84,897	2
15.	Patna	84,666	5
16.	Punjab & Haryana	1,70,671	11
17.	Rajasthan	98,416	9
18.	Sikkim	95	1
	TOTAL	31,74,101	117

*Pendency of cases as on 12/96.
**Pendency of cases as on 6/97.

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग में लंबित मामले

4565. **चौधरी हरमोहन सिंह यादव:**
श्री नागमणि:

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग में आज की तारीख तक लंबित मामलों की अलग-अलग स्थिति क्या है;

(ख) क्या गत पांच वर्षों के दौरान एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा महानगरों और राज्य-वार पंजीकरण तथा निपटान के संबंध में लंबित मामलों की स्थिति के बारे में समीक्षा की गई है; और

(ग) वर्ष के दौरान एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को पुनर्गठित तथा सुदृढ़ करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एम० तम्बी दुरई): (क) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग में 30 जून, 1998 तक की स्थिति के अनुसार 4168 जांचें/मामले लम्बित थे।

जांचों/मामलों का ब्यौरा निम्न प्रकार है:—

अनुचित व्यापार प्रथा जांचें	1316
प्रतिबंधित व्यापार प्रथा जांचें	1273
एकाधिकारिक व्यापार प्रथा जांचें	8
क्षतिपूर्ति वाले आवेदन	1571

(ख) एम० आर० टी० पी० आयोग की अदालतें केवल दिल्ली स्थित इसके मुख्यालय में ही लगती है। अन्य स्थानों पर इसकी कोई पीठ नहीं है। मामलों पर सुनवाई की निर्धारित तारीखों के अनुसार विचार किया जाता है। एम० आर० टी० पी० अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत मामलों पर नगरवार या राज्यवार विचार नहीं किया जाता है। परिणामस्वरूप इस मुद्दे पर पुनरीक्षण की कोई गुंजाइश नहीं है।

(ग) सरकार ने अध्यक्ष के अतिरिक्त एम० आर० टी० पी० आयोग की स्वीकृत सदस्य संख्या बढ़ाकर तीन से पांच करके तथा सहायक स्टाफ के और अधिक पदों का सृजन करके प्रशासनिक तौर पर इसे मजबूत किया है।

उच्चतम न्यायालय में लंबित मामले

4566. **चौधरी हरमोहन सिंह यादव:**
श्री नागमणि:

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 20, 15, 10 और 5 वर्षों से लंबित पड़े मामलों की संख्या कितनी है और उनका अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इसका एक कारण पक्षों द्वारा विलम्बकारी हथकंडे अपनाया जाना भी है;

(ग) यदि हां, तो इससे किस तरह निपटने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या इन मामलों में विलंब होने के कारणों में से एक कारण न्यायालय के कर्मचारियों की मिलीभगत है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसी गतिविधियों में कितने कर्मचारी लिप्त पाए गये हैं?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एम० तम्बी दुरई): (क) से (ङ) उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री से जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

Suggestions to Liberalise Inter-Corporate Loans

4567. SHRI K.M. KHAN: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government has made some suggestions to liberalise inter-corporate loans and investment upto 60 per cent of a company's reserves;

(b) if so, details thereof with background;

(c) whether the move will benefit the country in any way;

(d) whether some objectives to be achieved with this move; and

(e) if so, details thereof and if not, reasons therefor?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI M. THAMBI DURAI): (a) Yes, Sir.

(b) to (e) Clause 254 of the Companies Bill, 1997 introduced in Rajya Sabha in August, 1997 provides that companies should be permitted to invest upto an aggregate limit of 60% of the paid up capital and free reserves, or 100% of the free reserves of the company, whichever is higher, as either inter-corporate investment or loans.

The intention is that the right to make investment either in equity or securities or by making loan up to the above limit should be a matter of corporate decision by the Board of Directors. In case a company wishes to invest in excess of this